श्री सीताराम केसरी: चूंकि आज प्राइवेट मेम्बर्स डे है, इसीलिए मैं यह निवेदन कर रहा था । उसमें मैं किसी प्रकार का एनकोचमेंट करना नहीं चाहता हूं.... (Interruptions) पहले आप नान-आफिणियल विजनेस पर बहस णुरू कर लीजिये ।

## REFERENCE TO PRIVILEGE MOTION NOTICE AGAINST THE HOME MINISTER—contd.

The Vice-Chairman, (Shri R. R. Morarka) in the Chair]

श्री सत्यपाल मलिक :श्रीमन (Interruptions)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, प्रिविलेज मोणन मिनिस्टर के खिलाफ है। (Interruptions) सदन में ग्रसत्य वचन किये हैं।

He is on the issue of privilege.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Order, Order, One at a time.

श्री सत्यपास मिलक: श्रीमन्, मैंने तीन दिन पहले एक विशेषाधिकार हनन का प्रताद माननीय गृह मंत्री के विरुद्ध दिया था। उसमें निवेदन यह किया था कि माननीय गृह मंत्री ने पिछली 8 तारीख को बागपत के सिलसिले में बहुत भावावेश में बोलते हुए इरादतन, जान बूझकर यह असत्य बोला था कि मेडिकल रिपोर्ट में रेग का जिश्र नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार मेडिकल रिपोर्ट में रेप का स्पेसिफिक जिश्र किया गया है (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIR, R. MORARKA); Order please.

If you want to say anything you will get a chance

मलिक : मान्यवर, श्री सत्यपाल इस सिलसिले में मैंने यह निवेदन किया था कि जितने भी कागजात है वे उनको श्रपने कब्जे में ले जें ग्रीर उसको कमेटी को रेफर कर दें । माननीय सभापति महोदय ने सदन को बताया कि उन्होंने वह माननीय नंत्री महोदय के पास भेज दियां है उनको ग्रापने बयान को स्वारने का मौकादेने के लिये। पेरा यह निवेदन है कि इस सदन में स्पीकर डाइरेक्शन लाग नहीं है, कायदा कानन कोई नहीं है। जितना मैंने यहां जानने की कोशिश की मैंने यही महसूस किया कि यहां हम लोग प्रपंग हैं, सही ग्रीर कायदे की बाते उठाने के लिये, श्रौर मंत्रियों के एरोगेन्स प्रौर झठ को रोकने के लिये कोई नियम नहीं है। लोक सभा में स्पीकर डाइरेक्शन पुरितका है, उसमें नियम 16 में यह ब्यवस्था है कि ग्रगर मंत्री सवालों का जवाच देते वक्त या बहस के दौरान, सप्लीमेंटरी का जवाब देते वक्त, कोई गलत बयानी करता है तो उसको सुधारने के लिये सेकेटरी जनरल को लिखा जाना चाहिए ग्रीर फिर सेक्रेटरी जनरल की इजाजत के बाद ग्रंपने बयान में तबदीली करनी चाहिए । यह जो काम है यह एक हफ्ते के ग्रन्दर हो जाना चाहिए । लेकिन अगर यह काम एक हफ्ते के अन्दर नहीं होता है तो उसके बाद फिर चेयर से स्पेशल परमीशन लेनी पड़ेगी। जो रेसीड्यरी पावसं हैं में उनके तहत आपकी व्यवस्था चाहता हं। मैं निवेदन करता हं कि ग्रापने जो यह मौका दिया है माननीय मंत्री जीको यह उचित काम नहीं किया है। मेरा यह निवेदन हैं कि यह विशेषा-धिकार का प्रस्ताव है ग्रीर इसे तत्काल सदन के सामने लाकर विशेषाधिकार समिति के सुपूर्व विया जाय।